



उत्तर प्रदेश शासन

बिजली के ठेकेदारों को लाइसेन्स

(सरकारी विज्ञापित संख्या 1135-ई एल/XXIII-पी बी-94-ई०एल०ए०-58, दिनांक 11 मई, 1967 द्वारा प्राधिकृत)

श्री प्रा० लि०

सर्वश्री सनपावर एंड कन्सल्टेंट्स

ग० न० 47 लाइसेन्स 11 काउन्सिल शाहजहाँपुर
को विज्ञापित संख्या 1135-ई एल/XXIII-पी बी-94-ई०एल० ए०-58, दिनांक 11 मई, 1967 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश में विद्युत अधिष्ठापन कार्य करने के लिये एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

लाइसेन्स संख्या SHR-111

निर्गमित करने का दिनांक 11.03.16

अवधि समाप्ति का दिनांक 31.3.16

वार्षिक निरीक्षण शुल्क का चालान प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक तथा नवीकरण शुल्क के चालान के साथ लाइसेन्स 11 मार्च तक निदेशक, विद्युत सुरक्षा के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सभी शुल्क उत्तर प्रदेश के किसी राजकोष में निम्न हेड आफ एकाउन्ट के अन्तर्गत जमा किये जाने चाहिये।

“0043 विद्युत कर तथा शुल्क
(102) भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस”

कार्यवाहक निदेशक
विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन
लखनऊ
निदेशक, विद्युत सुरक्षा,
उत्तर प्रदेश सरकार।

नवीकरण का दिनांक	अवधि समाप्ति का दिनांक	सरकार के निदेशक के हस्ताक्षर	नवीकरण का दिनांक	अवधि समाप्ति का दिनांक	सरकार के निदेशक के हस्ताक्षर
01.4.16	31.3.2017				
01.4.17	31.3.2018				